न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंघाना जिला झुन्झुनु

मु0नं0	किस्म मु0	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
47/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

उनवान सरकार बनाम रणजीत,मंगल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपुत नि0 कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै0मु0 नाला ख0नं0 215 रकबा 0.20 किस्म गै0मु0 नाला मे से 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमी रणजीत,मंगल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपुत नि0 कुठानिया ने अवैध रूप से बाजरा काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी अनुपस्थित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमी जो काबिज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजसव अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। व गैर वहरा रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये बाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.35 की 50 गुणा जुर्माना राशि 18/- रू बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप तहसीलदार
उप तहसील सिंघाना, जिला झुन्झुनूं